

240  
23

2023/782

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ राज.

क्रमांक:-भू.अ./20/49  
प्रेषिति,

दिनांक:-10/05/20

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय  
चित्तौडगढ

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान् श्री मनोहर पिता शंकर नि. 2012-2021  
जे.मि.प. प.ह. जे.मि.प. के राजस्व ग्राम जे.मि.प. में जमाबन्दी संवत् 301  
की खाता संख्या 301 में मनोहर में जाति/नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.  
ने सम्मानजनक जाति/नाम मेवतार किये जाने की रिपोर्ट की है।  
सम्मानजनक जाति/नाम मेवतार का अकन राजस्व रिकार्ड में किया जाना  
उचित है। दोनों जातियां (पूर्व एवं वर्तमान संशोधन से संबधित जाति) अनुसूचित जाति  
श्रेणी के ही अन्तर्गत आती हैं/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं।

जाति संशोधन की रिपोर्ट में राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42  
(बी) का उल्लंघन भी नहीं होता है। अतः संशोधन किया जाना उचित है।

तहसीलदार चित्तौडगढ

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ राज.

क्रमांक:-रेंडर/20  
निमित्त,

दिनांक - / - /20

पटवार हल्का जे.मि.प.

विषय:-सम्मानजनक जाति/नाम दर्ज करने वांछित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर.एक्ट. 1956 की धारा 136

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/प्रार्थीयान के अनुसार श्री मनोहर पिता शंकर  
राजस्व ग्राम जे.मि.प. प.ह. जे.मि.प. की खाता संख्या 301 में  
जाति/नाम मेवतार दर्ज है। जिस सम्मानजनक करने हेतु रिपोर्ट जनक व  
पहचान प.ह. व भू.अ.नि. द्वारा की गई है। तहसीलदार चित्तौडगढ द्वारा भी जाति/नाम  
सम्मानजनक किये जाने की अनुशंसा प्राप्त हुई है।

अतः प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री मनोहर पिता शंकर  
जाति/नाम मेवतार एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत संशोधित दर्ज  
करने की स्वीकृत एतद द्वारा दी जाती है। प.ह. जे.मि.प. राजस्व रिकार्ड में  
उपरोक्तानुसार अगल की पाठना पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौडगढ

प्रतिलिपि:-तहसीलदार चित्तौडगढ पालना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौडगढ